न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 23/2016

अपीलांट

1. लाधूराम पुत्र पेमाराम जाति बिश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. भूराराम पुत्र रामूराम
2. जगमालराम पुत्र रामूराम
3. जालाराम पुत्र रामूराम
4. हरलाल पुत्र पेमाराम
5. मोहनलाल पुत्र पेमाराम
6. सिणधारी पत्नी पेमाराम जाति विश्नोई निवासी मौखावा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 01.10.2014 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी।

उपस्थित– 1. अपीलांटस की ओर से श्री गंगाराम विश्नोई अधिवक्ता।
2. रेस्पोंडेंट सं. 01 से 03, 5 व 6 की ओर से श्री महेन्द्र जोशी अधिवक्ता
3. रेस्पोडेंट संख्या 04 व 07 एक तरफा।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय **दिनांक 19.4.2017**

1. संक्षेप में अपीलांटस की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 48 रकबा 9 बिस्वा गैर मुमकिन एवं खसरा नंबर 49 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 13 विस्वा मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने हेतु प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश किये। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2014 पारित कर दिया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03, 05 व 06 की ओर से श्री महेन्द्र जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 04 व 07 बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।
3. रेस्पोडेंट सख्या 01 से 03, 05 व 06 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.12.2016 को इकबालिया जवाब पेश किया।
4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मौजा मौखावा खुर्द के खसरा नंबर 48 रकबा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 49 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 13 विस्वा भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 का संयुक्त रूप से कब्जा है एवं अपने–अपने कब्जे अनुसार काश्त करते आ रहे है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2014 के तहत अपीलांट एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 04 से 06 के हिस्से की खातेदारी संयुक्त रखी गई एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 03 ने अपना–अपना हिस्सा अलग कराते हुए बंटवाड़ा करा लिया तथा अच्छी एवं उपलाउ किस्म की भूमि हड़प ली। अपीलांट की रहवासी ढाणी रेस्पोडेंट के नाम से तरमीम कर दी गई। अपीलाधीन आदेश के तहत जो बंटवाड़ा किया गया है एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस सिद्वान्त के खिलाफ एवं अपीलांट की अनुपस्थिति में, उसकी जानकारी के बिना कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर करवाया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है।
5. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03, 05 व 06 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2014 को अपास्त कर पक्षकारान के कब्जे एवं काश्त अनुसार विभाजन आदेश पारित किये जाने पर रेस्पोडेंटस को कोई आपति नहीं है।
6. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालाानी द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत पारित

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बंटवाड़ा आदेश दिनांक 01.10.2014 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 06 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 48 रकबा 09 बिस्वा गैर मुमकिन एवं खसरा नंबर 49 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 13 विस्वा मौजा मौखावा खुर्द पटवार हल्का मौखावा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2014 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.4.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)